

प्रेषक,

श्री अशोक गार्गुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 तमटाय केन्द्र
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 17.1 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 1995

विषय:- श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर गोरखपुर को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर गोरखपुर को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिकूलताओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समूह समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम कम इस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न बर्खास्तियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं तिथा जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौटिल्य फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइवलिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्ते के सम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

... 2



Prasik
Principal

Smt Draupadi Dwei Tripathi Intermediate College
Rudrapur, Khajani, Gorakhpur
School Code-70493

121

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों/में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परियोजना/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया

जाय कि विद्यालय में कार्यरत दो अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को हटा दिया गया है

तथा कार्यरत स्टाफ प्रशिक्षित तथा अर्ह है। कार्यवाहियों को वेतन मानकानुस्य दिया जा रहा है तथा भुगतान बैंक के माध्यम से लिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाप्रति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

श्रीमती
EO/- अशोक कुंजु
उप सचिव ।

पुस्तक

113/15-7-1995 तद्विना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी कन्या इंटर कालेज रुद्रपुर गोरखपुर ।

श्रीमती
EO/- अशोक कुंजु
उप सचिव ।



Prasik

Principal

Smt Draupadi Dvei Tripathi Intermediate College
Rudrapur, Khajani, Gorakhpur
School Code-70493